



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डब्ल्यू.वी.-अ.-20112024-258780
CG-WB-E-20112024-258780

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4603]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 20, 2024/कार्तिक 29, 1946

No. 4603]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 20, 2024/KARTIKA 29, 1946

वस्त्र मंत्रालय

(पटसन आयुक्त का कार्यालय)

आदेश

कोलकाता, 14 नवम्बर, 2024

का.आ. 4991(अ).—यह 19.07.2024 को हुई सुनवाई के अनुसार है।

उपर्युक्त तारीख पर सभी हितधारकों द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण को विस्तार से सुना गया। प्रतिवाद सहित सभी प्रस्तुतियाँ दर्ज की गईं। विभाग से कहा गया था कि वह मामले में उचित निर्णय लेने के लिए फाइल मेरे समक्ष रखे।

कथित मिल के पूर्ववृत्त, इस वर्तमान मामले में किए गए अपराध, वर्तमान मामले में कथित मिल से प्राप्त उत्तर और दी गई तारीख पर सभी पक्षों की सुनवाई के साथ-साथ रेकॉर्ड में दस्तावेज का अवलोकन करने से यह पता चलता है कि किया गया अपराध स्थापित हो गया है। इसलिए यह आदेश दिया गया है—

मेसर्स हुगली मिल्स कंपनी लिमिटेड जनवरी, 2025 से शुरू होनेवाले लगातार 3 (तीन) महीनों के लिए निर्धारित क्षमता का 10 प्रतिशत कटौती करके पीसीएसओ प्राप्त करेगी।

हालांकि, प्रतिवादी मिल कंपनी सक्षम प्राधिकारी के समक्ष सिमा की निर्धारित अवधि अर्थात् 30 दिनों के भीतर अपील दायर करने के लिए स्वतंत्र होगी जैसा कि पटसन और पटसन वस्त्र नियंत्रण आदेश, 2016 में निहित है,

विभाग द्वारा इस आदेश को सभी संबंधित पक्षों को तत्काल परिचालित किया जाए।

[फा. सं. जूट(टी)-6/1/178/जीएन(5)/2019-1(ई)]

मलय चंदन चक्रवर्ती, पटसन आयुक्त

MINISTRY OF TEXTILES
(Office of the Jute Commissioner)

ORDER

Kolkata, the 14th November, 2024

S.O. 4991(E).—This is pursuant to the hearing held on 19.07.2024.

The submissions made by all the stakeholders on above mentioned date was heard at length. All the submissions were recorded including counter arguments. The department was asked to place the file before me for taking appropriate decision in the matter.

Taking into account the antecedents of the alleged mill, the offence committed in this present case, the reply received from the alleged mill in the present case and by hearing of all sides on the given date as well as the document in the record being perused, it is manifested that the offence committed is established.

Hence it is **ORDERED** –

M/s The Hooghly Mills Company Ltd. will get PCSO by deducting 10% of the scheduled capacity for 3 (three) consecutive months starting from January 2025.

However, the respondent mill company will be at liberty to file an appeal before the competent authority as embodied in the Jute & Jute Textiles Control Order, 2016 within the prescribe period of limitation i.e. 30 days.

Let this order be circulated to all the concerned parties' by the department forthwith.

[F. No. Jute(T)-6/1/178/GN(5)/2019-I(E)]

MOLOY CHANDAN CHAKRABORTTY, Jute Commissioner